... पत्रावली आइन्दा 16/12/22 को पेश हो।

1/12/22

पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोई समन्स तीन बार तीन-तीन नोटिस दिलाई गई बावजूद नोटिस दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित बावजूद नोटिस दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी। निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले कार्यालय में सुनाया गया। निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर मिसिल पत्रावली को जावे। पत्रावली विविध दुमा होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 79 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. भवानीसिंह पुत्र प्रतापसिंह
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रतापसिंह

जाति राजपूत निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. हरिसिंह पुत्र भूरा
2. धनसिंह पुत्र भूरा
3. गणपतसिंह पुत्र भूरा जाति दरोगा निवासी गांधव खुर्द तहसील गुड़ामालानी
4. गिरधारी पुत्र विशना
5. सावलाराम पुत्र वाला
6. देमो पत्नी भाणा
7. गेरो पत्नी वाला
8. इन्द्रा पुत्री भाणा जाति कलबी निवासी गांधवखुर्द तहसील गुड़ामालानी
9. ग्राम पंचायत बजरिये सरपंच गांधव खुर्द
10. टीकमाराम पुत्र मिसरा जाति गुरडा निवासी बांटा
11. मफाराम पुत्र मीसरा जाति गुरडा निवासी गांधवखुर्द तहसील गुड़ामालानी
12. रिखबाराम पुत्र मीसरा जाति गुरूडा निवासी गांधव
13. हजारीराम पुत्र मीसरा जाति गुरूडा निवासी बांटा
14. मूली पत्नी मीसरा गुरडा निवासी गादेवी
15. अन्तरी पुत्री छगना
16. एवन पुत्री छगना
17. केली पुत्री छगना
18. फूली पत्नी छगना
19. चूना पुत्र चोथा
20. नागजी पुत्री ठमला
21. मगा पुत्री ठमला
22. श्रवण दतक पुत्र नागजी जाति गुरूडा निवासी गांधवखुर्द
23. मथरा देवी पत्नी किरताराम
24. नरेश पुत्र किरताराम
25. योगेश पुत्र किरताराम जाति भील निवासी गांधवखुर्द
26. मोहनलाल पुत्र भूराराम
27. अमी पुत्र तेजा
28. रायचन्द पुत्र भूरा
29. पता पुत्र मनजी
30. सोनीदेवी पत्नी भूराराम
31. नगा पुत्र मनजी
32. तगा पुत्र मनजी
33. शंकरा पुत्र मनजी
34. लुम्बाराम पुत्र तेजाराम जातियान भील निवासी गांधवखुर्द
35. गवरी पत्नी जोगाराम
36. जूजाराम पुत्र जोगाराम
37. प्रभूराम पुत्र जोगाराम
38. रिडमलराम पुत्र रणछोडाराम जाति रबारी निवा[illegible] तहसील गुड़ामालानी
39. तहसीलदार गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 16.12.2022

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा गांधव खुर्द के खेत खसरा नम्बर 342/164 रकबा 17.4824 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गांधव कला के राजस्व गांधव खुर्द के खेत खसरा नम्बर 342/164 रकबा 17.4824 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16/12/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:56 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी